रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269491
CG-DL-E-21012026-269491

असाधारण या
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947
No. 51] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSHA 30, 1947

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी , 2026

फा.सं.पीएनजीआरबी/तकनीकी-8-टी4एसआरएंडजीपी/(1)/2023-खंड(2)(ई-4318).—पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस वि नियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक एवं विनिर्देश) विनियम, 2023 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक एवं विनिर्देश) संशोधन विनियम, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2023 में -

(क) विनियम 2, उप-विनियम (1) के खंड 'य' में, "एमडब्लयूएपी" शब्द के स्थान पर "एमएडब्ल्यूपी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) विनियम 9 में, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"उपकरण से होने वाले रिसाव और हानिकारक उत्सर्जन को रोकने के लिए, रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों को पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 18.03.2008 की अधिसूचना सं. जीएसआर 186 (E), जहाँ भी लागू हो, द्वारा अधिसूचित पेट्रोलियम तेल रिफाइनरी मानकों में उल्लिखित प्रासंगिक शर्तों का पालन करना चाहिए।"

(ग) अनुसूची-1 में,

(i) उप-खंड 1.5.1(क) में, क्र.सं. (ii) में, "अल्कोहल" शब्द के स्थान पर "एथेनॉल/ईबीएमएस" शब्द रखे जाएँगे;

(घ) अनुसूची-2 में,

(i) उप-खण्ड 2.2.1 (ग) में, क्र.सं. (i) का लोप किया जाएगा और उप-खण्ड 2.2.1 (क) में "सामान्य" शीर्षक के तहत क्र.सं. (vi) के रूप में पुनः सम्मिलित किया जाएगा;

(ii) उप-खंड 2.2.6 (क) में, उप-शीर्षक "प्रवेश और निकास स्थितियाँ" के तहत, क्र.सं. (ii) में, " लागू मानक या सांविधिक आवश्यकता के अनुसार ध्वनि को सीमित करने के लिए उपयुक्त साइलेंसर के साथ फ्लू गैस निकास प्रणाली डक्टिंग प्रदान की जाएगी। " शब्दों के स्थान पर "फ्लू गैस निकास प्रणाली डक्टिंग उपयुक्त साइलेंसर के साथ प्रदान की जाएगी, तथा ध्वनि स्तर लागू मानक या सांविधिक आवश्यकता के अनुसार सीमित होगा|" शब्द रखे जाएँगे।

(iii) उप-खंड 2.5.2 में, शब्द और अंक "आईएस 5571" के स्थान पर शब्द और अंक "आईएस-16724/ आईईसी-60079-14" प्रतिस्थापित किए जाएँगे;

(ड.) अनुसूची-3 में,

(i) खंड 3.4.5 (घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ड.) महत्वपूर्ण उपकरणों का तृतीय पक्ष निरीक्षण, खरीद और उसके बाद रखरखाव:

i. निरीक्षण दस्तावेजों (पीओ निबंधन एवं शर्तों/ क्यूएपी के अनुसार) और नामित टीपीआईए द्वारा जारी प्रमाण-पत्र और पीएमसी/ ग्राहक द्वारा जारी प्रेषण मंजूरी की संतोषजनक समीक्षा के आधार पर पीओ मद भेजी जाएगी।

ii. टीपीआई से सीधे निरीक्षण प्रमाणपत्रों की पुष्टि और सत्यापन के लिए उपयुक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए। बोली दस्तावेज़ में टीपीआई से इकाई को गवाह परीक्षण प्रमाणपत्रों की प्रति सीधे प्रस्तुत करने का प्रावधान शामिल होना चाहिए। टीपीआई को इंस्पेक्शन रिलीज़ नोट (आईआरएन) और चरण-वार

निरीक्षण प्रगति सीधे कंपनी को प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी एक प्रति उपकरण निर्माता को भी देनी होगी। टीपीआई की नियुक्ति पीएमसी/ग्राहक द्वारा की जाएगी और इसे पीआर/एमआर/आरएफक्यू चरण में शामिल किया जाएगा।

iii. महत्वपूर्ण उपकरणों की आपूर्ति क्रय आदेश में, तृतीय-पक्ष निरीक्षण को शामिल किया जाना है। बोली दस्तावेज़ में, इकाई को पैनल में शामिल टीपीआई की सूची शामिल करनी होगी जो कंपनी की ओर से निरीक्षण करेंगे। असाधारण मामलों में, जहाँ टीपीआई में परिवर्तन आवश्यक हो, ऐसे परिवर्तन का औचित्य बताते हुए स्वामी (कंपनी) से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कंपनी टीपीआई निरीक्षण की गुणवत्ता की जाँच के लिए औचक निरीक्षण भी कर सकती है।

iv. कंपनी को महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए विक्रेता द्वारा चयन के बजाय सीधे टीपीआई एजेंसी (एजेंसियों) की नियुक्ति करनी होगी (कंपनियों को महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करने होंगे)। इससे टीपीआई द्वारा निरीक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और धोखाधड़ी वाले परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से बचा जा सकेगा।

v. हाइड्रोकार्बन और एच2 सर्विस फिटिंग/वाल्व के लिए महत्वपूर्ण, उच्च-दाब फिटिंग/वाल्व (50 कि.ग्रा./सें.मी.2 से अधिक) की खरीद की प्रक्रिया लागू होगी। ऐसी फिटिंग/वाल्व की खरीद सामान्य फिटिंग/वाल्व के साथ नहीं की जानी चाहिए। ऐसी फिटिंग/वाल्व की खरीद के लिए पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) को सर्विस और दाब रेटिंग के साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

vi. कंपनियां (रिफाइनरियां) एपीआई मानकों के अनुसार फिटिंग/वाल्व की खरीद करेंगी। जहाँ भी समकक्ष बीआईएस मानक उपलब्ध हों, कंपनी (रिफाइनरी) अपने खरीद आदेश में समकक्ष भारतीय मानक पर विचार कर सकती है।

vii. साइट पर स्थापना से पहले महत्वपूर्ण सेवा में फिटिंग/वाल्व प्रतिस्थापन के दौरान पूरी तरह से जाँच के लिए यांत्रिक और निरीक्षण कर्मियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण सहित मानक रखरखाव प्रक्रिया (एसएमपी) विकसित की जानी चाहिए।

viii. असमान धातुओं की पहचान के लिए, कार्यस्थल पर 50 कि.ग्रा./सें.मी.^{2} से अधिक उच्च दाब वाले खंड में हाइड्रोकार्बन के लिए सभी महत्वपूर्ण उच्च रेटिंग वाले वेल्डेड वाल्वों के लिए, सभी कार्बन स्टील लूप सहित, 100% सकारात्मक सामग्री पहचान (पीएमआई) सुनिश्चित की जाएगी। ऐसे वाल्व प्रतिष्ठानों में वेल्ड जोड़ों के दोनों ओर पीएमआई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उद्योग को पीएमआई की आवश्यकता की गंभीरता तय करनी चाहिए।

(ii) खंड 3.4.5 (ड.) को खंड '(च)' के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

(iii) खंड 3.4.5 (च) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"3.5 ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियाँ:

i. कंपनी को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ: 50001) का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए और आईएसओ: 50001 में निर्दिष्ट अनुसार आवधिक लेखापरीक्षा करानी चाहिए।

ii. कंपनी को ऊर्जा गहन क्षेत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा जारी अधिदेश के अनुसार, लागू होने पर, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना या कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। कंपनी को सीसीटीएस और पीएटी योजना में क्रमशः जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (जीईआई) और विशिष्ट ऊर्जा खपत लक्ष्य में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

iii. यूनिट को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ: 14001) का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए और आईएसओ: 14001 में निर्दिष्ट अनुसार समय-समय पर लेखापरीक्षा करनी चाहिए।

(च) अनुसूची-4 में,

(i) उप-खंड 4.8.6 में, "डीसी आपूर्ति यूनिटें" शीर्षक के तहत, क्र.सं. (ग) को पुनः इस प्रकार लिखा जाएगा, "फायर अलार्म सिस्टम में एक विशिष्ट डीसी बैटरी बैकअप सिस्टम होगा। सभी नियंत्रण प्रणालियों के लिए मुख्य आपूर्ति विफलता के बाद यूपीएस बैटरी बैकअप अवधि 30 मिनट होगी।"

(ii) उप-खंड 4.8.6(ग) में, " एफ और जी..." से शुरू होने वाले और "...6 घंटे को छोड़कर।" शब्दों पर समाप्त होने वाले शब्दों और संख्याओं का लोप किया जाएगा।

(iii) "उप-खंड 4.8.6 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा: "(घ) सीसीटीवी, सीईईएमएस विश्लेषक, आपातकालीन पीए सिस्टम/सेवाएँ, ज्वाला एवं गैस (एफएंडजी) डिटेक्टरों की नियंत्रण प्रणालियों के लिए, बैकअप 6 घंटे की अवधि का होगा।"

(iv) उप-खंड 4.8.6 में 'डीसी आपूर्ति यूनिटें' शीर्षक के तहत, क्र.सं. '(घ)' को '(ङ)' पढ़ा जाएगा।

(v) उप-खंड 4.8.11 (क) में, "सीईए विनियम, 2010" शब्दों और अंकों के स्थान पर " नवीनतम सीईए विनियम" शब्द और अंक रखे जाएँगे।

(vi) उप-खंड 4.8.12 (ग) में, "आईई नियम" शब्दों के स्थान पर "नवीनतम सीईए विनियम" शब्द रखे जाएँगे।

(vii) उप-खंड 4.9.1 (ख) में, "डीसी" शब्द के स्थान पर "बैटरी समर्थित डीसी या एसी आपूर्ति" शब्द रखे जाएँगे।

(viii) उप-खंड 4.9.4 (क) में, "केबल टाइप" शीर्षक के तहत, क्र.सं. (viii) में, "खतरनाक क्षेत्र में जमीन के ऊपर बिछाई गई इलेक्ट्रिकल केबल और इंस्ट्रूमेंटेशन केबल आग प्रतिरोधी होनी चाहिए।" शब्दों के स्थान पर " अग्नि परिदृश्य लिफाफे के भीतर बिछाई गई विद्युत केबल और उपकरण केबल को एपीआई 2218 के अनुसार फायर प्रूफिंग प्रदान की जाएगी।" शब्द रखे जाएँगे।

(छ) अनुसूची-5 में,

(i) उप-खंड 5.3.8 में क्र.सं. (क) और क्र.सं. (ख) को मिला दिया जाएगा और "नवीनतम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय विनियम..." शब्दों के बाद, और "गैस (क्लीन एजेंट...)" शब्दों से पहले, "हालाँकि" शब्द जोड़ा जाएगा।

(ii) उप-खंड 5.3.9 (क) में, "तेल" शब्द के स्थान पर "वर्ग क और ख पेट्रोलियम" शब्द रखे जाएँगे।

(iii) उप-खंड 5.15.1 में क्र.सं. (ग) (ii) में, "एक्सपेलेंट गैस के रूप में नाइट्रोजन के साथ 2000 कि.ग्रा. क्षमता वाली एक डीसीपी टेंडर" शब्दों के स्थान पर "एक 4000 कि.ग्रा. क्षमता का डीसीपी टेंडर जिसमें 2000 कि.ग्रा. क्षमता के दो वेसल हो जिनमें से प्रत्येक में नाइट्रोजन को एक्सपेलेंट गैस के रूप में रखा गया हो|" शब्द रखे जाएँगे।

(iv) उप-खंड 5.17.11(छ) में क्र.सं. (ii) में, "आग में लगे सेंट्रल फायर अलार्म पैनल और संबंधित क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष में स्थापित रिपीटर पैनल" शब्दों के स्थान पर "अग्निशमन केंद्र में लगे सेंट्रल फायर अलार्म पैनल और संबंधित क्षेत्र के नियंत्रण कक्ष में स्थापित रिपीटर पैनल " शब्द रखे जाएँगे।

(ज) अनुसूची-11 के उप-खंड 11.5.3, क्र.सं. (ख) में, "...और यह परमिट" शब्दों के पश्चात् "अभिलेख" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा "न्यूनतम दो प्रतियों में" शब्दों के स्थान पर "कार्यस्थल पर उपलब्ध" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./624/2025-26]

पाद टिप्पणी:

1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक एवं विनिर्देशन, 2023) के मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 में 29 मार्च, 2023 को फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/8-टी4एसआरएंडजीपी/(1)/2023 (पी-4247) के तहत प्रकाशित किए गए थे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम रिफाइनरियों और गैस प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक एवं विनिर्देशन, 2023) के मूल विनियम, भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4 में 23 जुलाई, 2025 को फा.सं. पीएनजीआरबी/तकनीकी/18-दंड-टी4एस पजी./(9)/2024/(ई-5488)/11 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2026

F. No. PNGRB/Tech/8-T4SR&GP/(1)/2023-Volume(2) (E-4318).—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following Regulations to further amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Plants) Regulations, 2023, namely: -

1. Short Title And Commencement:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Plants) Amendment Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Plants) Regulations, 2023 -

(a) In Regulation 2, sub-regulation (1), in Clause 'z', the word "MWAP" shall be substituted with "MAWP".

(b) In Regulation 9, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"For preventing fugitive emissions and standards for equipment leaks, the refinery and Gas processing plants should comply with the relevant stipulations as stated in the Petroleum Oil Refinery standards notified by Ministry of Environment and Forests vide Notification no. GSR 186 (E) dated 18.03.2008 as applicable."

A (c) In Schedule-1,

(i) In sub-clause 1.5.1 (a), in serial number (ii) the words, "alcohol" shall be substituted by the words, "Ethanol/EBMS";

(D) In Schedule-2,

(i) In sub-clause 2.2.1 (c), serial no. (i), shall be omitted and re-inserted in subclause

2.2.1 (a) under the heading "General" as serial no. (vi);

(ii) In sub-clause 2.2.6 (a), under sub-heading "Inlet and Exhaust Conditions", in serial number (ii), the word "shall" be substituted with "should" and the words "to limit the sound as per applicable standard or statutory requirement" shall be omitted. The words "The noise level shall meet the applicable standard or statutory requirement" shall be inserted.

(iii) In sub-clause 2.5.2, the words and figures, "IS 5571" shall be substituted by the words and figures, "IS-16724/IEC-60079-14";

B (e) In Schedule-3,

(i) After the clause 3.4.5 (d) the following clause shall be inserted, namely:-

" (e) Third party inspections, procurement, and subsequent maintenance of critical equipment:

i. PO item shall be dispatched based on satisfactory review of inspection documents (as per PO terms & conditions/QAP) and certificate issued by the nominated TPIA and the dispatch clearance issued by PMC/Client.

ii. Suitable mechanisms should be adopted for confirmation & verifications of inspection certificates directly from TPI. The bid document must include provision for direct submission of copy of witness test certificates from TPI to entity. TPI to submit the inspection release note (IRN) and stage-wise inspection progress directly to the entity with copy to equipment manufacturer. TPI shall be engaged by PMC/Client and the same shall be incorporated in the PR/MR/RFQ stage.

iii. In the Critical Equipment' supply purchase order, the third-party inspection is to be included. In the bid document, the entity must include the list of empaneled TPIs who would carry out the inspection on behalf of Entity. In exceptional cases, where change in TPI is required, approval from owner (entity) is to be sought providing justification for such change. Entity may also make surprise inspections to check the quality of TPI inspection.

iv. Entity shall directly appoint the TPI agency(s) for Critical activities (Entities must set criterion for identifying critical activities) rather than selection by the vendor. This will improve quality of inspection by TPI and would avoid fraudulent test certificate submission.

v. The procedure for the procurement of critical, high-pressure fittings/valves (more than 50 Kg/Cm^2) for hydrocarbons and H2 service fittings/valves shall be in place. Procurement of such fittings/valves should not be done along with the normal fittings/valves. Pre-Qualification Criteria (PQC) for procurement of such fittings/valves to be clearly defined with service and pressure rating.

vi. Entities (Refineries) resort to purchase of fittings/valves as per API standards. Wherever, equivalent BIS standards are available, the entity (refinery) may examine considering the equivalent Indian standard in their purchase order.

vii. Standard Maintenance Procedure (SMP) should be developed including joint inspection by Mechanical & Inspection personnel for thorough checking during fitting/valve replacement in critical service before installation at site.

viii. 100% Positive material identification (PMI) shall be ensured for all critical high rating welded valves for Hydrocarbons in high pressure section more than 50 Kg/Cm^2 at site including all carbon steel loop in order to identify the dissimilar metals. PMI should be ensured for both the sides of the weld joints in such valve installations. Industry shall devise the criticality for the requirement of PMI.

(ii) clause 3.4.5 (e) shall be re-numbered as clause '(f)'

(iii) After clause 3.4.5 (f) the following clause shall be inserted, namely:-

" 3.5 Energy and Environment management systems:

i. Entity should also ensure compliance to Energy Management System (ISO: 50001) and undertake periodic audits as specified in the ISO: 50001.

ii. Entity should ensure compliance to Perform Achieve & Trade (PAT) scheme or Carbon Credit Trading Scheme (CCTS), as may be applicable, in accordance with the mandate issued by the Bureau of Energy Efficiency (BEE) for Energy Intensive Sectors. Entity should set targets for improving GHG Emission Intensity (GEI) and Specific Energy Consumption Target in CCTS and PAT scheme respectively.

iii. Entity shoulssd also ensure compliance to Environment Management System (ISO: 14001) and undertake periodic audits as specified in the ISO:14001."

(f) in Schedule-4,

(i) In sub-clause 4.8.6, under the heading "DC Supply Units", in serial number (c), shall be re-written as " Fire alarm system shall have a dedicated DC battery backup system. UPS Battery backup Duration after Main supply failure shall be 30 minutes for all control systems."

(ii) In sub-clause 4.8.6 (c), the words and numbers starting from "except 6 hours…." and ending with words ".....(such as PA system)" shall be omitted

(iii) In Sub-clause 4.8.6 the following shall be inserted "(d) For Control Systems of CCTV, CEEMS Analyzers, Emergency PA System/Services, Flame & Gas (F&G) Detectors, backup shall be of 6 hrs duration."

(iv) the sub-clause 4.8.6 under the heading ' DC Supply Units', Serial no. '(d)' shall be read as '(e)'

(v) In sub-clause 4.8.11 (a), the words and figures, "CEA Regulations, 2010" shall be substituted by the words and figures, "the CEA Regulations as amended from time to time."

(vi) In sub-clause 4.8.12 (c), the words "IE Rules" shall be substituted by words "CEA Regulations as amended from time to time."

(vii) In sub-clause 4.9.1 (b), the word "DC" shall be substituted by words "battery backed up DC or AC supply"

(viii) In sub-clause 4.9.4 (a), under the heading "cable types", serial number (viii), the words "above ground in Hazardous area shall be of fire-resistant construction" shall be substituted with words "within a Fire Scenario Envelope shall be provided with fire proofing in accordance with API 2218."

(g) In Schedule-5,

(i) In sub-clause 5.3.8 Serial no. (a) and Serial no. (b) shall be merged and after the words "latest MoEF Regulations…." and before the words "The Gas (Clean Agent…)", the word "However," shall be inserted.

(ii) In sub-clause 5.3.9 (a), the word "Oil" shall be substituted with the words "Class A & B Petroleum".

(iii) In sub-clause 5.15.1 in serial number (c) (ii), after the word "One" and before the words "DCP tender.", the words and figures "4000 kg capacity" shall be inserted and after the words "…tender having" and before the words and figures "2000 kg capacity….", the words "two vessels of" shall be inserted.

(iv) In sub-clause 5.17.11 (g) in serial number (ii) the words "fire and in the repeater" shall be substituted with words "the fire station and in the repeater panel installed in the respective area control rooms. The location of these manual call points shall be conspicuously marked for proper identification."

(h) In Schedule-11, sub-clause 11.5.3, in serial number (b), after the words "…and this permit", the word "record" shall be inserted and the words "in minimum two copies" shall be substituted with words "available at site".

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./624/2025-26]

Foot Note:

1. The Principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board(Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Regulations, 2023 was published in Gazette of India, Part 3, Sec.4, on 29th March, 2023 vide F.No. PNGRB/Tech/8-T4SR&GP/(1)/2023 (P-4247)

2. The Principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board(Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Petroleum Refineries and Gas Processing Regulations, 2023 was published in Gazette of India, Part 3, Sec.4, on 23rd July, 2025 vide F.No. PNGRB/Tech/18-penalty-T4SReg./(9)/2024/(E-5488)/11

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.01.21 16:49:34 +05'30'